Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में तहसील कार्यालय छतरगढ़ में आकस्मिक चैकिंग में मिली 2,74,400/-रूपये की अवैध राशि**
- **तहसील कार्यालय का सूचना सहायक कम कैशियर गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर एसयू इकाई द्वारा आज सूत्र सूचना पर कार्यवाही करते हुये इरफान भाटी सूचना सहायक कम कैशियर तहसील कार्यालय छतरगढ़ बीकानेर को 2,74,400/-रूपये की अवैध राशि सहित गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर एसयू इकाई को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि तहसील कार्यालय छतरगढ़ बीकानेर में होने वाली रजिस्ट्रीयों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कैशियर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर आपस में मिलीभगत कर अवैध रूप से रिश्वत के रूप में कमीशन राशि ले रहे है तथा उक्त भ्रष्टाचार की रकम में से कैशियर के पास करीब चार से पांच लाख रूपये मिलने की संभावना है।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला** के निर्देशन में एसीबी बीकानेर एसयू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में मय **पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप कुमार खत्री** एवं टीम द्वारा आज तहसील कार्यालय छतरगढ़ बीकानेर में आकस्मिक चैकिंग की गई। दौराने चैकिंग तहसील कार्यालय के सूचना सहायक कम कैशियर इरफान भाटी पुत्र मोहम्मद इकबाल भाटी निवासी दाउजी रोड़ सिपाहीयों का मोहल्ला बीकानेर के पास रजिस्ट्रीयों के कमीशन के रूप में प्राप्त अवैध राशि **कुल 2,74,400/-रूपये** मिले तथा कमीशन राशि का हिसाब किताब मिला। उक्त राशि के संबंध में आरोपी सूचना सहायक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया, जिससे उक्त अवैध राशि रजिस्ट्रीयों के कमीशन के बदले ली गई रिश्वत प्रतीत होने पर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। तहसील कार्यालय छतरगढ़ के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।